


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रघुवीर सिंह बनाम सरकार 12/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहीर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.1976 के विरुद्ध हस्तगस्त अपील पेश की गई है किन्तु वकील अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.1976 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ नहीं लगाई गई है। जिससे हस्तगस्त अपील अपूर्ण होने से न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नहीं है एवं अपील पर आगामी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। वकील अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.1976 की प्रमाणित प्रति करने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु फिर भी अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील अपूर्ण होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधिनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;">  (जरेन्द्र गुप्ता) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर </p>	

25/2/20



अपील सं.
12/2020

2020/00274

न्यायालय, सम्भागीय आयुक्त महोदय,

जयपुर सम्भाग, जयपुर।

रीडर

दिनांक

10/2/2020

अपील संख्या 20/2020 12/2020

1. रघुवीर सिंह पुत्र स्व० श्री जग्या उर्फ जगन, आयु 45 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बाढेगूवास तहसील बानसुर जिला अलवर राजस्थान।

2. विद्या पुत्री स्व० श्री जग्या उर्फ जगन आयु 47 साल, निवासी ग्राम बाढेगूवास तहसील बानसुर जिला अलवर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.07.1976 अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड जिला अलवर राजस्थान द्वारा बउनवानी सरकार बनाम जग्या उर्फ जगन में पारित किया गया, जिसकी अनुपालना में नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 01.12.1976 को खोला गया।

मान्यतर

श्रीमान

अपील

- (1) पूर्ण कोर्टीसघर है।
- (2) क्षेत्रीय अधिकारिक - विभागाधीन है।
- (3) अपील में जो आदेश की प्रति पेश नहीं की है।
- (4) सिविल न्याय है।
- (5) शो फिल डिपेंडेंस है।

आदेश